न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 229/2023

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. धापी पत्नी दानाराम 2. कानाराम पुत्र दानाराम 3. रामनिवास पुत्र दानाराम 4. सुमेराराम पुत्र दानाराम 5. पप्पूराम पुत्र दानाराम (समस्त जाति, प्रजापत निवासी सुवाणा, ग्रा0पं0 बासनी हरिसिंह, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर) 6. गंगा पुत्री दानाराम पत्नी रूपाराम प्रजापत, निवासी मेडता सिटी, जिला नागौर 7. गीता पुत्र दानाराम पत्नी जीवनराम प्रजापत, निवासी आसोप, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर		राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध तहसीलदार भोपालगढ आदेश कमांक 157 दिनांक 10.05.2023

उपस्थिति –
1. श्री जस्साराम चवेल वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28 :03.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि तहसीलदार भोपालगढ के अपीलाधीन आदेश कमांक 157 दिनांक 10.05.2023 के द्वारा ग्राम सुवाणा के खसरा नं0 312/7 रकबा 0.5180 हैक्टर किस्म सेवज सोयम की तरमीम/रेकर्ड दुरूस्ती हेतु भू.अ.नि./पटवारी बासनी हरिसिंह की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नक्शा भूमि में तरमीम /राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की अनुशंषा की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

प्रकरण में अपील के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड मंगवाया जाना उचित नही समझते हुए वकील अपीलांट्स एवं राजकीय अधिवक्ता को सुना गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी ग्राम सुवाणा के खसरा नम्बर 312/7 में कुल रकबा 0.5180 हैक्टर भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रशासन गांवों संग अभियान–2023 केम्प बासनी हरिसिंह में बिना किसी आवेदन पटवारी व भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार भोपालगढ ने अपीलाधीन आदेश क्रमांक 157 दिनांक 10.05.2023 पारित कर अपीलार्थी की कब्जा काश्त की भूमि के स्थान से अन्यत्र स्थान पर तरमीम कर दी गई। जबकि धारा 131 व 136 आरएलआर के तहत तरमीम संशोधन एवं दुरूस्ती के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को कोई नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। पूर्व में दिनांक 02.11.2022 की मौका फर्द के अनुसार अपीलार्थी का कब्जा खसरा नं. 211/1 के दक्षिण दिशा में कटाणी रास्ते के उपर पाया जाना व उसमे खातेदार का टांका बना हुआ होने का उल्लेख है। जांच उपरांत दिनांक 12.11.2022 को पटवारी/भू.अ.नि. की रिपोर्ट में दर्शाये गये नजरी नक्शे में अपीलार्थी के खसरान की तरमीम शुद्धि प्रस्तावित की गई। जिसकी स्वीकृति तहसीलदार भोपालगढ के आदेश क्रमांक 5329 दिनांक 30.11.22 के द्वारा DILRMP के तहत गलत की गई तरमीम/रेकर्ड दुरूस्ती करने बाबत दी गई थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भोपालगढ के आदेश क्रमांक 157 दिनांक 10.5.23 को अपास्त कर राजस्व रेकर्ड में पूर्वानुसार तरमीम अंकित किए जाने का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अपीलाधीन आदेश के पृष्ठ भाग पर कार्यालय निरीक्षक (भू.अ.)/पटवार मण्डल बासनी हरिसिंह द्वारा DILRMP के तहत की गई गलत तरमीम/रेकर्ड दुरूस्ती करने बाबत नजरी नक्शे में दर्शाये गये

प्रस्तावित खसरा नं0 312/7 तथा पूर्व मे तरमीम दुरूस्ती हेतु दिनांक 12.11.2022 के नजरी नक्शे में दर्शाये गये प्रस्तावित खसरा नं0 312/7 की स्थिति में भिन्नता प्रतीत है।

ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ कार्यालय तहसीलदार भोपालगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश/पत्र क्रमांक 157 दिनांक 10.05.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार भोपालगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर, पुनः नये सिरे से विधिसम्मत कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 28 मार्च, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

28/03/24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर